राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

नरेश कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। इस नीति की अंतर्दृष्टि में विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वे वैश्विक नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) में निवेश एवं इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक सुनिश्चित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, खेल, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा का समावेशन करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करना प्रमुख प्रावधान हैं। इसके अलावा विस्तृत और सशक्त संस्थानों द्वारा ई.सी.सी.ई. प्रणाली को लागू करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य के विकास की निगरानी एवं जाँच-परीक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जो इसे न केवल अपने आप में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं, अपितु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को एक मज़बूत आधार भी प्रदान करते हैं।

शिक्षा मानवीय क्षमताओं को प्राप्त करने, न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकता के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित

* *प्रवक्ता* (सी.एम.डी.ई.), मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिण पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नयी दिल्ली 110073

© NCERT not to be republished

जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ज़ोर देती है तथा यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ज़ोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई शिक्षा प्रणाली अथवा व्यवस्था में तीन साल की आँगनवाड़ी या प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषा बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 34 वर्ष पुरानी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का आशय अथवा अर्थ है— बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई और पोषण इत्यादि पर ध्यान देना और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का आशय उस विद्यालय-पूर्व शिक्षा से है जिसमें कथा, कहानियों, कविताओं, गीत, संगीत, नृत्य और खेल-खिलौनों आदि के माध्यम से बच्चों को सिखाना एवं उन्हें शिक्षा प्रदान करना शामिल है। अतः इस संदर्भ में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढाँचा

फ़ाउंडेशनल	कक्षा 1 से 2 (आयु 6–8 वर्ष) आँगनवाड़ी/प्री-स्कूल/बालवाटिका आयु 3 से 6 वर्ष (कुल अवधि 5 वर्ष)
प्रिपरेटरी	कक्षा 3 से 5 आयु 8 से 11 वर्ष (कुल अवधि 3 वर्ष)
मिडिल	कक्षा 6 से 8 आयु 11 से 14 वर्ष (कुल अवधि 3 वर्ष)
सेकंडरी	कक्षा 9 से 12 आयु 14 से 18 वर्ष (कुल अवधि 4 वर्ष)

© NCERT not to be republished

यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा वह देखभाल एवं शिक्षा है जिसमें संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों का समावेशन होता है तथा इसका उद्देश्य जन्म से छह वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके अधिगम को प्रोत्साहित करना है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व ही उनकी यह शिक्षा शुरू हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा बच्चों को विद्यालय के परिवेश में न केवल स्वयं को ढालने में सहायता प्रदान करती है, अपितु उनके द्वारा विद्यालय में बेहतर शिक्षा अर्जित करना भी सुनिश्चित करती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। इसके साथ ही वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

1. ***प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश एवं इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक सुनिश्चित करना***— इस नीति के अनुसार वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसमें निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे कि सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में समान रूप से भाग लेने और तरक्की करने के अवसर प्राप्त हो सकें। बच्चों के मस्तिष्क का उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक छह वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास छह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। इस नीति के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
2. ***प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, खेल, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा का समावेशन करना***— इस नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में मुख्य रूप से बहुआयामी, लचीली, खेल-आधारित, बहुस्तरीय, गतिविधि एवं खोज आधारित

© NCERT not to be republished

शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे— अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक कठपुतली, संगीत, समस्या सुलझाने की कला तथा अन्य गतिविधियाँ। इसके साथ-साथ अन्य कार्य; जैसे— सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, नैतिकता, शिष्टाचार, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

3. ***प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करना***— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा (एन.सी.पी.एफ./ई.सी.सी.ई.) दो भागों में विकसित किया जाएगा जिसके अंतर्गत 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल किया जाएगा विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परम्पराओं से विकसित हुई हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, गीत, खेल और बहुत कुछ शामिल हैं। शिक्षा का यह मॉडल माता एवं पिता दोनों के साथ-साथ आँगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

4. ***विस्तृत सशक्त (ई.सी.सी.ई.) संस्थानों द्वारा ई.सी.सी.ई. प्रणाली को लागू करना***— इस नीति का वृहद लक्ष्य भारत में चरणबद्ध तरीके से समूचे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना होगा तथा इसे सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना होगा। इस संदर्भ में पिछड़े ज़िलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) प्रणाली को विस्तृत और सशक्त ई.सी.सी.ई. संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा। जिसमें पहले से काफी विस्तृत एवं सशक्त रूप से अकेले चल रहे आँगनवाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आँगनवाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के पास स्थित हैं तथा अकेले चल रहे प्री-स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा ये सभी विद्यालय ई.सी.सी.ई. के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं शिक्षकों को भर्ती करेंगे।

© NCERT not to be republished

5. ***प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए आँगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाना***— वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आँगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढाँचे, खेलने के उपकरण एवं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा तथा प्रत्येक आँगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ-साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ एवं निर्मित भवन होगा तथा इन केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से मिलेंगे, जिससे कि आँगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों के मध्य उचित समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आँगनवाड़ियों को विद्यालय परिसरों अथवा समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आँगनवाड़ी बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को स्कूल अथवा स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

6. ***प्रत्येक बच्चे को पाँच वर्ष की आयु से पहले प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' में स्थानांतरित करना***— प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि पाँच वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' जो कि कक्षा एक से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा। इसमें एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) योग्य शिक्षक होगा। तैयारी कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

7. ***मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य के विकास की निगरानी एवं जाँच-परीक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना***— इस नीति के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि मध्याह्न (दोपहर के) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जाँच-परीक्षण जो आँगनवाड़ी व्यवस्था में पहले से उपलब्ध है, उसे प्राथमिक विद्यालयों की तैयारी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

8. ***ई.सी.सी.ई. शिक्षकों का शुरूआती कैडर तैयार करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना***— इस नवीन शिक्षा नीति में ई.सी.सी.ई. शिक्षकों का शुरुआती कैडर तैयार करने के लिए आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों या शिक्षकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित पाठ्यक्रम व शिक्षणशास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आँगनवाड़ी कार्यकत्री या शिक्षक को ई.सी.सी.ई. में छह महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा एवं कम

© NCERT not to be republished

शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ई.सी.सी.ई. के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों या शिक्षकों के ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.) के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा तथा ई.सी.सी.ई. को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा।

9. ***प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन***— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की ज़िम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, जिससे कि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके तथा शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप में किया जाएगा एवं स्कूली शिक्षा में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष 'संयुक्त कार्यबल' अर्थात् 'टास्कफ़ोर्स' का गठन किया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने से संबंधित उपाय अथवा तरीके

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने से संबंधित कुछ प्रमुख उपायों अथवा तरीकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- स्थानीय स्तर पर समुदाय एवं स्थानीय शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन संबंधित आँगनवाड़ी या बालवाड़ी अथवा विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्रों में हो।
- इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के संदर्भ में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशावर्करों और ए.एन.एम. आदि, जो बाल्यावस्था देखभाल के संदर्भ में विशेष रूप से सक्रिय हैं, का नियमित सहयोग एवं सहायता ली जाए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में खंडित न होकर समग्र रूप में होने अथवा किए जाने चाहिए।
- बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा वंचित वर्ग के परिवारों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना एवं सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

© NCERT not to be republished

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की नियमित निगरानी करना तथा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना तथा इस संदर्भ में अभिभावक-शिक्षक संघ एवं अन्य समितियों का अपेक्षित सहयोग एवं सहायता लेना अथवा प्राप्त करना।
- इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता ठोस, बहुआयामी और सहयोगात्मक हो।
- इसके क्रियान्वयन एवं सफल संचालन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए अर्थात् इसके अंतर्गत अधिगम और पोषण दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाली व्यापक नीति को प्रयोग में लाया जाए।
- इस शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यावहारिक क्रियान्वयन के संदर्भ में इस बात को विशेष तवज्जो देते हुए समाज के अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी होगी कि आरंभिक बाल्यावस्था में किया गया निवेश भविष्य में एक स्वास्थ्य एवं उत्पादक कार्यशील मानव संसाधन एवं नागरिक के सृजन के रूप में दीर्घकालिक लाभ देगा जिससे बच्चे, समाज एवं राष्ट्र सबका कल्याण होगा।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का क्रियान्वयन न केवल आर्थिक कारणों के संदर्भ अथवा आधार पर किया जाए; अपितु इसमें सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के संदर्भ एवं आधार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए।
- इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने अथवा सफल बनाने के संदर्भ में एक विशेष रणनीति राज्यों एवं केंद्र के द्वारा तैयार की जाए तथा इसे एक मिशन के रूप में चलाया जाए तथा साथ ही इसके संदर्भ में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कुशल तंत्र का विकास किया जाए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रत्येक बालक तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की एक विस्तृत और सशक्त प्रणाली सुनिश्चित एवं विकसित की जाए तथा आँगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा इस संदर्भ में सक्रिय बाल हितैषी प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केंद्र की भूमिका निभाई जाए।
- प्रत्येक माह में एक नियत दिन पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस मनाया जाना चाहिए, जिसमें समुदाय के सदस्यों एवं अभिभावकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में गैर-सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भी उचित सहायता अथवा सहयोग लिया जाए।
- निर्धन परिवारों में मज़दूरी करने वाले माता-पिता और कामकाजी अभिभावकों के बच्चों के लिए 'शिशुसदन' और 'डेकेयर' जैसी सुविधाएँ आरंभ की जानी चाहिए तथा स्थानीय समुदायों के द्वारा शिशु सदनों का संचालन महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समूची परिकल्पना को धरातल पर लागू करने के संदर्भ में इसके लिए स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया जाए तथा साथ ही इस संदर्भ में व्यापक जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

© NCERT not to be republished

- इस शिक्षा को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के संदर्भ में व्यापक जनजागरण अभियान भी चलाया जाना चाहिए, जिससे कि इससे संबंधित नीतियों एवं प्रावधानों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति भी बहुत ज़रूरी है।
- आज हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे समक्ष इस संदर्भ में अपार चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलने की भी अपार संभावनाएँ हैं। अगर हम इन चुनौतियों को अवसर में बदल दें तो आने वाले समय में न सिर्फ़ हमारे बच्चों का, बल्कि देश का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल एवं शानदार होगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। यह सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली एक प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में वर्णित एवं संबोधित किया जा सकता है, लेकिन इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा को वास्तविक धरातल पर बड़े ही उचित एवं सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जाए एवं इसमें व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

© NCERT not to be republished